नम्बर
म0हुक्म को
जारी है

GCMS NO. 2024/254

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 144/2024 (हबीब खां बनाम राज0 सरकार)

निर्णय दिनांक :— 19.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.02.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम गांगियासर पटवार हल्का गांगियासर में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 300 के ख0न0 300 रकबा 2.44 है0 तथा ख0न0 301 रकबा 2.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.88 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भीवखां पुत्र इनायत खां की बजाय सही नाम हबिब खां पुत्र इनायत खां किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 19.02.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पकंज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 144 / 2024 (GCMS NO. 2024 / 254)

हबीब खां पुत्र इनायत खां जाति कायमखानी निवासी गांगियासर तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू।
–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार बिसाऊ जिला झुंझुनूं।
–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती

विद्वान अधिवक्ता वादी – श्री जय सिंह गौड़

निर्णय

निर्णय दिनांक 19.02.2025

संक्षेप में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गांगियासर पटवार हल्का गांगियासर में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 300 के ख0न0 300 रकबा 2.44 है0 तथा ख0न0 301 रकबा 2.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.88 है0 है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भीवखां पुत्र इनायतखां दर्ज है जो कि गलत है। वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम हबिब खां पुत्र इनायत खां है जो कि सही हैं एवं यही नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त एवं दर्ज करवाना चाहता है। वादी को उक्त राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त करने पर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गलत होने की जानकारी प्राप्त हुई। वादी वाद पत्र में घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसमें तहसीलदार बिसाऊ को बतौर पक्षकार बनाया गया हैं। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2074–77 में वादी का नाम गलत है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायेचित है। वादी ने निवेदन किया कि अन्य सिधि जो भूल से चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के हक में हो वे भी दफा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। वादी के रिकार्ड दुरूस्ती के संबंध में तहसीलदार बिसाऊ को तहरीर जारी होकर रिपोर्ट चाही गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट एवं सलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। तहसीलदार बिसाऊ द्वारा वादी का नाम भीवखां पुत्र इनायत खां की बजाय सही नाम हबिब खां पुत्र इनायत खां होने की अनुशंसा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी

जबाबदेही एवं साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों का दोहराया एवं तहसीलदार बिसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। समस्त तथ्यों, साक्ष्य सबूतों, उपलब्ध रिकार्ड एवं तहसीलदार बिसाऊ की अनुशंसा के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में भीवखां पुत्र इनायत खां की बजाय सही नाम हबिब खां पुत्र इनायत खां किया जाना उचित प्रतित होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गांगियासर पटवार हल्का गांगियासर में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 300 के ख0न0 300 रकबा 2.44 है0 तथा ख0न0 301 रकबा 2.44 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.88 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भीवखां पुत्र इनायत खां की बजाय सही नाम हबिब खां पुत्र इनायत खां किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पंकज 19/2/25

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर